

आदेश

अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-01/2025 द्वारा बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाईयों के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध निर्धारित मानक के आधार पर सहायक निदेशक (राजपत्रित) के 89 पदों एवं वरीय वैज्ञानिक सहायक (अराजपत्रित) के 100 पदों पर अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर नियोजन हेतु इस निमित्त पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा गठित त्रिसदस्यीय बोर्ड द्वारा चयन किये गये कुल-189 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन बिहार पुलिस मुख्यालय, कमरा संख्या-107, बी-ब्लॉक, प्रथम तल, सरदार पटेल भवन, नेहरू पथ, पटना-800023 में दिनांक-06.01.2026 से 08.01.2026 तक प्रातः 09:30 बजे से होना प्रस्तावित है।

उपर्युक्त जाँच कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निम्नप्रकार समितियों का गठन किया जाता है:-

समिति संख्या	सदस्य
समिति संख्या-01	श्री निहार भूषण, पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार श्री रंजीत कुमार, पुलिस निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार मो0 रमजान अंसारी, पुलिस अवर निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार
समिति संख्या-02	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार श्री कुणाल कुमार, पुलिस निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार श्रीमती साधना सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार
समिति संख्या-03	मो0 इनामुल्लाह, पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार श्री प्रवीण पासवान, पुलिस निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार श्री रमेश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार
समिति संख्या-04	श्री प्रिय रंजन, पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार श्री विजय कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार श्री जय कुमार पासवान, पुलिस अवर निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार
समिति संख्या-05	सुश्री पूजा प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना। श्रीमती स्वाति कुमारी, परिचारी प्रवर, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना। श्री राहुल कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक, अनुसंधान में वैज्ञानिक सहायतार्थ, अप0 अनु0 विभाग, बिहार, पटना।
समिति संख्या-06	श्री शेख मो0 अलाउद्दीन, अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना श्री विजयेन्द्र कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक, शारीरिकमूलक अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना। श्री प्रीति कुमारी, परिचारी, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना।

उपरोक्त समितियों अभ्यर्थियों के अभिलेखों का गहनतापूर्वक सत्यापन कर अपना-अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगी।

इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/—

पुलिस उप-महानिरीक्षक(अप0)
—सह—अध्यक्ष, नियोजन बोर्ड,
अपराध अनुसंधान विभाग,
बिहार, पटना।

अप0/स्था0/वि0वि0प्रयो0-न0-19-01/2008(पार्ट)
बिहार पुलिस मुख्यालय
(अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
2. जॉच समितियों के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
3. प्रभारी रक्षित शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथियों को 04 साक्षर सिपाही को शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में सहयोग हेतु प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करें।

पुलिस उप-महानिरीक्षक (अप0)
—सह—अध्यक्ष, नियोजन बोर्ड,
अपराध अनुसंधान विभाग,
बिहार, पटना।